# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2531 नारायणपुर,दिनांक 25/04/2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध/व0सं0अ0),
रायपुर छत्तीसगढ ।

विषय :– जिला नारायणपुर में 16 वीं वाहिनी(भा0/र0) छ0स0 बल, मुख्यालय हेतु ''आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर , स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन'' स्थापित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम गढ़बेंगाल एवं गरांजी की चयनित भूमि 12.899 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि का पंजीयन क्रमांक –2014/46 को पुनर्जीवित करने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय सेनानी, 16 वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल नारायणपुर का पत्र क्रमांक /16वी बटा0/छ0स0बल/नारायणपुर /क्वा0मा0/एम /569 दिनांक 23.04.2018.

––:00:––

विषयान्तर्गत निवेदन है कि नारायणपुर वनमण्डल के अंतर्गत सेनानी 16 वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल नारायणपुर को मुख्यालय हेतु ''आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर , स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन'' स्थापित करने हेतु ग्राम गढ़बेंगाल प0ह0न0 11 खसरा न0–33 रकबा 3.580 हे0 एवं ग्राम गरांजी के प0ह0न0–04 खसरा न0 362 रकबा 5.00 हे0 एवं खसरा नं0– 363 रकबा 4.369 हे0 कुल रकबा 12.899 हे0 राजस्व वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् आबंटित पंजीयन क्रमांक / 2014 /46 को आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार निरस्त कर दिया गया था ।

ईकाइ को न्यायालय कलेक्टर जिला नारायणपुर के आदेश क्रमांक/55/कले0/ रिडर/ भू0अ0/2017 नारायणपुर दिनांक 03.02.2017 के माध्यम से ग्राम सुपगांप एवं तेलसी में 41.550 हे0 आबंटित /हस्तांरित राजस्व भूमि पर वनमण्डल द्वारा पत्र क्रमांक /मा0चि0/ 7440 नारायणपुर दिनांक 24.11.2017 को डी नोटिफाईट राजस्व भूमि उल्लेख कर स्थल को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 04 के तहत् वन खण्ड बनाकर 2006–07 से 2015–16 तक के वर्किंग प्लान में सम्मिलित किया गया है इस कारण 16 वी वाहिनी को कार्य बंद करने हेतु निर्देशित किया गया है। 16 वाहिनी गठन का मुख्य उद्देश्य नक्सल विरोधी आपरेसन को तेज कर समस्या का उन्मूलन करना है इस हेतु प्रशासकीय / आवसीय भवनों के निर्माण कार्य चालु वित्तीय वर्ष में ही कराया जाना प्रस्तावित है निवेदन किया गया है।

अतः उपरोक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु ग्राम गढ़बेंगाल पटवारी हल्का न0–11 खसरा न0–33 रकबा 3.580 हे0 एवं ग्राम गरांजी के पटवारी हल्का न0–4 खसरा न0–362 रकबा 5.00 हे 0 एवं खसरा नं0– 363 रकबा 4.369 हे0 कुल रकबा 12.899 हे0 राजस्व वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन पुनर्जीवित कर भूमि आबंटन करने निवेदन किया गया है। इस संबंध में प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी,
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

पृ0क्रमांक/मा0चि0/2532 नारायणपुर,दिनांक 25/04/2018

प्रतिलिपि :–

(1) मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
(2) कलेक्टर, जिला नारायणपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
(3) सेनानी 16 वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल नारायणपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

वनमण्डलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

OFFICE OF COMMANDANT
16TH B.N.C.A.F. NARAYANPUR
CO. ..........
D.C. ..........
A.C. ..........
H.C./STENO ..........
TO ..........DEPARTMENT
INCOMING NO./ DATE 569-A/18
27-4-18

D: \ Folder D.M.\leter\2018\Manchitrakar ---2018